FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

श्रीमति तुलसी बेवा मांगू रेगर — बनाम — राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा
निवासी– लाम्बा

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88 रा.टी.ए. प्रकरण संख्या– 822/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.06.2018	पत्रावली आज वृत केम्प में पेश हुई। वकील वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि मौजा लाम्बा, तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 1059, 1059/1, 1060, 1061, 1062, 1063, 1149, 1150 किता 8 रकबा 21 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित थी, जिसमें वादीया का हिस्सा भी निहित था। वकील वादी का यह भी कथन था कि पूर्व में खातेदार कजोड पिता बख्तावर के द्वारा भूमि का विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत किया गया था, जो 336/2010 पर पंजीवृद्ध किया जाकर दिनांक 22.07.2014 को अंतिम डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना हेतु ईजराय संख्या– 245/2014 जारी की गई थी। अंतिम डिक्री जारी की जाने से पूर्व ही वादीया के द्वारा अपना हिस्सा आराजी नम्बर– 1149 व 1150 को छोडकर शेष सभी आराजीयात में से शान्तीदेवी पत्नि लादू रेगर व गोपाली पत्नि पूरणमल रेगर को रजिस्ट्रर बेचान कर दिया गया था। जिसका नामान्तकरण संख्या– 3038 दिनांक 22.07.2014 को उनके पक्ष में निमित हो चूका था। प्रकरण में अंतिम डिक्री की पालना करते समय पटवारी हल्का के द्वारा वादीया तुलसी के हिस्से की समस्त आराजीयात को शान्ति देवी पत्नि लादू रेगर, गोपाली देवी पत्नि पूरणमल रेगर के नाम नामान्तकरण संख्या– 3123 दिनांक 28.02.2015 से दर्ज कर दी गई। जबकि वादीया के द्वारा आराजी नम्बर– 1149 व 1150 को छोडकर सभी आराजीयात में से बेचान किया गया था। अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात 1149 व 1150 में से तुसली बेवा मांगू रेगर के हिस्से की आराजी को छोडकर अन्य सभी आराजीयात में शान्ति देवी पत्नि लादू रेगर व गोपाली देवी पत्नि पूरण मल रेगर निवासी आनन्दीपुरा के नाम पर खाते में दर्ज करानें व नामान्तकरण संख्या– 3123 दिनांक 28.02.2015 को निरस्त करने की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमायी जावे।	सहायक कलक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी से जवाब तलब किये जाने पर पैरोकारराज के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली है।

मैनें पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व पैरोकारराज की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तद्नुसार न्यायालय पैरोकारराज की रिपोर्ट के अनुसार दावा वादी स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित समझता है।

"निर्णय"

दावा वादी स्वीकार किया जाकर मौजा लाम्बा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 1149/4, 1063/1 किता 2 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा भूमि आराजी नम्बर– 1059/1, 1059/4, 1061/1, 1063/4, 1049/5, 1150 किता 6 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि के खातेदारों का नाम हटाया जाकर उनके स्थान पर आराजी नम्बर– 1149/4 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि तुसली बेवा मांगू रेगर साकिन देह, आराजी नम्बर– 1063/1 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा भूमि शान्तिदेवी पत्नि लादू रेगर, गोपाली पत्नि पूरणमल रेगर साकिन देह आन्नदीपुरा, आराजी नम्बर– 1149/5, रकबा 11 बिस्वा, 1150 रकबा 05 बिस्वा भूमि राजू, प्रभु पिता भूरा, ग्यारसी कमला पुत्री भूरा, अंकित, आसू ना.बा. पिता मगना, बवि. कंचन व कंचन बेवा मगना रेगर, शीला, पूजा ना.बा. पिता मगना ब.बि. कंचन बेवा मगना रेगर लादू पिता बख्तावर तुसली बेवा मांगू रेगर साकिन देह, आराजी नम्बर– 1159/1 रकबा 03 बिस्वा, 1159/4, रकबा 01 बिस्वा, 1061/1 रकबा 02 बिस्वा, 1063/4 रकबा 05 बिस्वा किता 4 रकबा 11 बिस्वा भूमि राजू, प्रभु, पिता भूरा, ग्यारसी, कमला पुत्री भूरा, अंकित, आसू, ना.बा. पिता मगना, शीला, पूजा ना.बा. पिता मगना ब.बि. कंचन व कंचन बेवा मगना रेगर, कजोड लादू पिता बख्तावर, शान्तिदेवी पत्नि लादू रेगर साकिन देह गोपाली देवी पत्नि पूरण मल रेगर साकिन आन्नदीपुरा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को खुली अदालत में सूनाया गया।

कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा